आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी, छतरपुर (पलामू)।

विविध वाद संख्या-143/2017

धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता

भोला यादव ------ प्रथम पक्ष

बनाम्

देवनंदन यादव वगैरह ------ द्वितीय पक्ष

12.10.17

यह वाद आवेदक भोला यादव पिता स्व0 महंगु यादव ग्राम-कौवल, पोस्ट+थाना- नौडीहा बाजार, जिला- पलामू ने 1. देवनंदन यादव 2. दीपचनी यादव 3. बुधन यादव 4. शिव यादव चारों के पिता स्व0 रामचन्द्र यादव 5. सुदामा यादव 6. सुदेश्वर यादव 7. राजेश यादव तीनों के पिता दुलन यादव सभी ग्राम-कौवल, पोस्ट+थाना- नौडीहा बाजार, जिला-पलामू के विरूद्ध धारा 144 द0प्र0सं0 अन्तर्गत कार्रवाई हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया। उक्त आवेदन पत्र के आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक-767, दिनांक 20.06.2017 के द्वारा थाना प्रभारी, नौडीहा बाजार से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। थाना प्रभारी, नौडीहा बाजार ने अपने अप्राथमिकी संख्या- 04/17 दिनांक 03.07.2017 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया। जाँच प्रतिवेदन में दोनो पक्षों के बीच उक्त भूमि के विवाद को लेकर दोनो पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए धारा-144 दं0प्र0सं0 लगाने की अनुशंसा किया गया है। विवादित भूमि का विवरण इस प्रकार हैः- मौजा-कौवल, खाता सं0-24, प्लॉट सं0-32, रकबा-0.02एकड़, चौहद्दीः- उत्तर- प्लॉट सं0-33, दक्षिण- पूरब-पश्चिम जाने का रास्ता, पूरब-भोला यादव का मकान, पश्चिम-दीपचनी यादव का मकान

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	एवं खाता सं0-24, प्लॉट सं0-33, रकबा-0.44 एकड़ जिसकी चौहद्दीः- उत्तर-गोविन्द यादव का मकान, दक्षिण- प्लॉट सं0-33, पूरब- अमारिक यादव, दक्षिण- सोनू यादव के लिए विवादित भूमि के उपर धारा 144दं0प्र0सं0 की प्रक्रिया कायम कर उभय पक्षों को जाने से रोक लगाते हुए कारण पृच्छा की मांग की गई। प्रथम पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा दाखिल किये। प्रथम पक्ष के कारण पृच्छा का सार यह है कि यह प्रक्रिया थाना प्रभारी, नौडीहा बाजार के अप्राथमिकी के आलोक में मौजा-कौवल, खाता सं0-24, प्लॉट सं0-32, रकबा-0.02एकड़, चौहद्दीः- उत्तर- प्लॉट सं0-33, दक्षिण- पूरब-पश्चिम जाने का रास्ता, पूरब-भोला यादव का मकान, पश्चिम-दीपचनी यादव का मकान एवं खाता सं0-24, प्लॉट सं0-33, रकबा-0.44 एकड़ जिसकी चौहद्दीः- उत्तर-गोविन्द यादव का मकान, दक्षिण- प्लॉट सं0-33, पूरब- अमारिक यादव, दक्षिण- सोनू यादव के अन्तर्गत भूमि के उपर धारा 144 दं0प्र0सं0 का प्रक्रिया कायम कर नोटिस निर्गत किया गया है। प्रक्रिया नोटिस के आलोक में प्रथम पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। प्रथम पक्ष का यह भी कथन है कि मौजा-कौवल, खाता सं0-24, प्लॉट सं0-32, रकबा-0.02एकड़ एवं खाता सं0-24, प्लॉट सं0-33, रकबा-0.44 एकड़ भूमि प्रथम पक्ष के पिता महंगु महतो को भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा बन्दोबस्ती से प्राप्त है जिसका रिर्टन प्रथम पक्ष के पिता के नाम से भूतपूर्व	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	जमीन्दार ने दाखिल किया है, जिसकी जमीन्दारी रसिद भी प्रथम पक्ष के पिता महंगु यादव के नाम से भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा निर्गत किया गया है। जमीन्दारी उन्मूलन के बाद प्रथम पक्ष के पिता के नाम से सरकारी रसिद निर्गत किया गया है और आज तक निर्गत होते चला आ रहा है, तथा प्रथम पक्ष के मृत्यू के बाद उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक दखल कब्जा एवं स्वामित्व प्रथम पक्ष का चला आ रहा है। प्रथम पक्ष के द्वारा प्रश्नगत भूमि पर इस वर्ष भी फसल लगाया गया है। विपक्षी द्वारा दखल कब्जा के बिन्दु पर जब विवाद उत्पन्न किया गया तो प्रथम पक्ष विवस होकर यह वाद न्यायालय में लाये। प्रथम पक्ष का यह भी कथन है कि विपक्षी जाली कागजात के आधार पर प्रथम पक्ष के भूमि पर दावा करते हैं। प्रथम पक्ष के पिता द्वारा द्वितीय पक्ष के पूर्वज के पक्ष में किसी भी प्रकार का दस्तावेज के निष्पादन नहीं किये हैं। विपक्षीगण स्थल जॉच के समय उक्त भूमि से संबंधित कोई भी कागजात थाना प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है इससे प्रमाणित होता है कि विपक्षी के पास प्रश्नगत भूमि से संबंधित कोई वैद्ध दस्तावेज नहीं है। प्रथम पक्ष का यह भी कथन है कि इस मुकदमा के पूर्व विविध वादं सं0-49/16 धारा 144 दं0प्र0सं0 का मुकदमा श्रीमान् के न्यायालय से चला था। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए अनुरोध किया है कि विपक्षी नोटिस लेने से इनकार किये हैं, जिससे वाद भूमि पर उनका कोई दावा नहीं बनता है। अतः	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	प्रथम पक्ष के कारण पृच्छा को स्वीकार करते हुए निर्गत नियम प्रथम पक्ष के पक्ष में रिक्त तथा द्वितीय पक्ष के पक्ष में निर्गत नियम निरपेक्ष किया जाय। प्रथम पक्ष के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं कारण पृच्छा का अवलोकन करने तथा उनके विज्ञ अधिवक्ता के बहस सुनने के साथ-साथ वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि थाना प्रभारी, नौडीहा बाजार के द्वारा विपक्षी को नोटिस का तामिला प्रतिवेदन हेतु चौकिदार को दिया गया। थाना प्रभारी द्वारा अग्रसारित तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष ने नोटिस लेने से इनकार किया। द्वितीय पक्ष द्वारा नोटिस लेने से इनकार करने से स्पष्ट होता है कि वाद भूमि पर उनका कोई अभिरूची नहीं है। दूसरी ओर प्रथम पक्ष का दावा ठोस दस्तावेज पर आधारित है। अतः निर्गत नियम प्रथम पक्ष के पक्ष में रिक्त तथा द्वितीय पक्ष के पक्ष में निरपेक्ष किया जाता है। **लेखापित एवं संशोधित** **अनुमंडल दण्डाधिकारी,** छत्तरपुर(पलामू)। **अनुमंडल दण्डाधिकारी,** छत्तरपुर(पलामू)।	